



उ०प्र० पावर कारपोरेशन, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन (विस्तार),

लखनऊ- 226001

Website-www.uppst.org

E-mail- cpftrust.2004@gmail.com

पत्र संख्या: /80/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/ई०आर०पी०/2020

दिनांक: 30.9.2023

कार्यालय-ज्ञाप

ट्रस्ट कार्यालय में ई०आर०पी० सैप प्रणाली लागू होने के दृष्टिगत अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित कार्मिकों को उ०प्र०पा०का०लि० अंशदायी भविष्य निधि नियमावली, 2004 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार उनके सी०पी०एफ० खाते से अस्थायी/स्थायी अग्रिम के निष्कासन की स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही ई०आर०पी० सैप प्रणाली पर विकसित किये गये "PF Advance Module" के माध्यम से सम्पादित किये जाने हेतु अध्यक्ष (ट्रस्ट) के अनुमोदनोपरान्त निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं०-167/80/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/ई०आर०पी०/2020 दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से आदेश पारित किये गये थे। अग्रेतर उक्त आदेश के तारतम्य में कार्यालय ज्ञाप सं०-420/80/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/ई०आर०पी०/2020 दिनांक 25.04.2023 के माध्यम से अस्थायी/स्थायी अग्रिम के निष्कासन हेतु आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज/प्रपत्र अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गई थी।

उक्त के सम्बन्ध में ट्रस्ट स्तर पर भुगतान के पूर्व जाँच करते समय संज्ञान में आया है कि कार्मिकों द्वारा अपने सी०पी०एफ० खातों से अस्थायी/स्थायी अग्रिम के निष्कासन हेतु ESS Portal पर आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज/प्रपत्र या तो अपलोड नहीं किये जा रहे हैं अथवा त्रुटिपूर्ण दस्तावेज, जो मांगपत्र से सम्बन्धित नहीं है, अपलोड किये जा रहे हैं। उ०प्र०पा०का०लि० अंशदायी भविष्य निधि नियमावली-2004 में अग्रिम प्रयोजन से सम्बन्धित प्रपत्रों का वर्णन न होने के कारण कार्मिकों द्वारा अपलोड किये जाने वाले प्रपत्रों का निर्धारण करने में समस्या उत्पन्न होती है और कार्मिकों द्वारा आवश्यक प्रपत्र अपलोड न किये जाने के कारण अधिकांश अग्रिम के आवेदन Reject हो रहे हैं।

उक्त के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि ESS Portal पर अग्रिम हेतु आवेदन करते समय कार्मिकों द्वारा कॉलम सं०-2 पर अंकित प्रयोजन के सापेक्ष कॉलम सं०-3 पर वर्णित विवरणानुसार आवश्यक दस्तावेज/प्रपत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित किया जायेगा:-

क्रम सं०	अग्रिम प्रयोजन	अपलोड किये जाने वाले प्रस्तावित प्रपत्र
1	2	3
1.	Personal/Official legal expenses	धनराशि के व्यय के उपरान्त ब्योरा प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित कार्मिक का घोषणा-पत्र।
2.	Higher Education	शिक्षण संस्थान से निर्गत फीस से सम्बन्धित Brochure.
3.	Marriage/Funeral/Ceremonies	प्रयोजन के सम्बन्ध में कार्मिक द्वारा स्वयं का घोषणा-पत्र।
4.	Purchase consumer durables	अग्रिम के प्रयोजन हेतु प्राप्त धनराशि के उपभोग के उपरान्त कार्मिक द्वारा Bill of Payment की प्रति उपलब्ध कराये जाने का घोषणा-पत्र।
5.	Illness	डॉक्टर के परामर्श अथवा फीस से सम्बन्धित प्रपत्र।
6.	i. Reconstruction/Addition/Alteration of owned house/Flat. ii. Construction of house	मकान/जमीन के स्वामित्व से सम्बन्धित प्रपत्र (भवन कर/जल कर/रजिस्ट्री/खतौनी/स्वामित्व प्रमाणित करने से सम्बन्धित अन्य कोई प्रपत्र)।
7.	Renovations/Additions/Alterations of Ancestral house at a place other than place of duty	पैतृक मकान के पते की पुष्टि हेतु मकान से सम्बन्धित अभिलेख/प्रपत्र (भवन कर/जल कर/रजिस्ट्री/खतौनी/अन्य कोई प्रपत्र)।
8.	Repayment of housing loan	बैंक द्वारा गृह ऋण स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रपत्र एवं बैंक द्वारा जारी गृह ऋण का अद्यतन विवरण (अग्रिम के आवेदन से पूर्व का विवरण)।
9.	Building or acquiring a house, or ready built flat for his residence including the cost of the site.	मकान/जमीन के स्वामित्व से सम्बन्धित प्रपत्र अथवा क्रय अनुबन्ध प्रपत्र अथवा मकान/जमीन का आवंटन पत्र।

उपरोक्त तालिका के कॉलम सं०-3 के अनुसार आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेज ESS Portal पर अपलोड होने के पश्चात् ही सम्बन्धित कार्मिक को सी०पी०एफ० अग्रिम स्वीकृत करने की कार्यवाही सम्बन्धित स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

पारेषण निगम के कार्मिकों को सी०पी०एफ० अग्रिम की स्वीकृति करते समय उपरोक्त तालिकानुसार आवश्यक दस्तावेज/प्रपत्र प्राप्त करने का उत्तरदायित्व अग्रिम स्वीकृत करने वाले अधिकारी का होगा। अग्रिम स्वीकृति कार्यालय द्वारा परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (पारेषण)/मुख्यालय भुगतान इकाई के माध्यम से ट्रस्ट कार्यालय को मांगपत्र अग्रसारित करते समय उपरोक्त तालिका के कॉलम सं०-3 के अनुसार आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे।

उपरोक्त तालिका के कॉलम सं०-2 के बिन्दु सं०-1, 3 एवं 4 पर अंकित प्रयोजन के सापेक्ष अग्रिम हेतु आवेदन करते समय कार्मिक द्वारा घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में कार्मिक का यह उत्तरदायित्व होगा कि अग्रिम धनराशि के उपभोग से सम्बन्धित प्रपत्र खण्ड/इकाई में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की आवश्यकता हेतु संरक्षित किया जा सके।

अध्यक्ष (ट्रस्ट)

पत्र संख्या: 1047 / 80 / सी०पी०एफ० ट्रस्ट / ई०आर०पी० / 2020 / तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
4. पुलिस महानिदेशक (सर्तकता), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. पुलिस अधीक्षक (सर्तकता), उ०प्र०पा०का०लि०, डालीबाग, लखनऊ।
6. अपर पुलिस अधीक्षक (सर्तकता), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
7. निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. निदेशक (वित्त/का० एवं प्रशा०), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ।
10. समस्त कार्मिक ट्रस्टीज, उ०प्र०पा०का०लि० अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट/उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट।
11. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त मुख्य अभियंता, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
13. सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ।
16. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को।
17. अधिशासी अभियंता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को।
19. लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण-मध्य/उत्तर-पूर्व/दक्षिण-पूर्व/पश्चिम/दक्षिण-मध्य/दक्षिण-पश्चिम, उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०, लखनऊ/गोरखपुर/प्रयागराज/मेरठ/झांसी/आगरा।
20. लेखाधिकारी (सी०पी०एफ०/के०भु०प्र०), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
21. लेखाधिकारी (सा०प्र०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, महानगर, लखनऊ।
22. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान/वेतन एवं लेखा/के०भु०प्र०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
23. लेखाधिकारी, मुख्यालय भुगतान इकाई, उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
24. समस्त लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
25. श्री सोविक हाजरा, मे० एसेन्चर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लि०।
26. कट फाइल।

(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वित्त), उ०प्र०पा०का०लि०
एवं ट्रस्टी